राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 958/2025

रविन्द्र पांचाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका अन्ता, जिला बारां।
4. रईस कुरेशी, फायरमैन, नगर निगम कोटा दक्षिण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी फायरमैन के पद पर नगर पालिका अन्ता जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नगर निगम कोटा दक्षिण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्धावस्था में है और अपीलार्थी के छोटे–छोटे बच्चे है। जिनकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी एकलोता पुत्र है। इस आधार पर आलौच्य आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नगर पालिका अन्ता, बारां से नगर निगम कोटा दक्षिण किया गया है। आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील में पारिवारिक परिस्थितियों के संबंध में उल्लेख किया है। जिसमें हम आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी पारिवारिक परिस्थितियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना

अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। आलौच्य आदेश सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य